I-31
5/3/20

"National Mission for Safety of Women" अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी राज्यात १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देणेबाबत..

महाराष्ट्र शासन
विधि व न्याय विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: जगन्या १४१९/५/प्र.क्र.४/का- नऊ
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२,
दिनांक:- ०४ मार्च, २०२०.

<u>वाचा</u> :
१. मा. सर्वोच्च न्यायालय सु-मोटो जनहीत याचिका क्र. १/१९ आदेश दि.२५.०७.२०१९
२. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. D.O. No.१५०११/१४/२०१८-JUS-II, न्याय विभाग, विधि व न्याय मंत्रालय, नवी दिल्ली दि.०५.०९.२०१९.
३. शासन समक्रमांकाचे पत्र दि.२५.१०.२०१९ व दि.१३.११.२०१९.
४. मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. B(W)A-२१०८ of २०१९/२४००/३२५२९/२०१९ दि.०५.११.२०१९/
५. मा. सर्वोच्च न्यायालय सु-मोटो जनहीत याचिका क्र. १/१९ आदेश दि.१६.१२.२०१९
६. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक: विशेन्या १३१९/प्र.क्र.१२५/का- नऊ दि.२३.०१.२०२०
७. मा. उच्च न्यायालयाचे पत्र क्र. B(W)A-२१०८ of २०१९/३३९/५८२८ दि.१५.०२.२०२०.
८. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३ दि.१७.१२.२०१६
९. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक: पदनि-२५१२/प्र.क्र.१५७/१२ दि.२७.०१.२०१५
१०. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक: कंत्राटी-२०१६/प्र.क्र.१९४/१२ दि.२३.०२.२०१७
११. विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्रमांक: कंत्राटी-२०१६/प्र.क्र.१९४/१२ दि.०९.०८.२०१७

<u>प्रस्तावना</u> :

महिलांवरील बलात्कार व सामुहीक बलात्काराच्या प्रकरणात देशभरात वाढ होत आहे. सदर बाबीचे गांभीर्य विचारात घेता, केंद्र शासनाने "National Mission for Safety of Women" अंतर्गत महिला व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व पॉक्सो कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापनेबाबतची तरतूद केली आहे. सदर अभियानाच्या कृती आराखड्यानुसार देशभरात एकूण १०२३ विशेष जलदगती न्यायालये १ वर्षाच्या कालावधीकरीता स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे व या १०२३ विशेष जलदगती न्यायालयांपैकी १३८ विशेष जलदगती न्यायालये महाराष्ट्र राज्यात स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सु-मोटो जनहीत याचिका क्र. १/१९ मध्ये संदर्भ क्र. १ येथील दि.२५.०७.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये POCSO Act अंतर्गत १०० पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित असलेल्या जिल्ह्यांच्या ठिकाणी

Exclusive/Designated Special Courts स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार प्रस्तावित १३८ विशेष जलदगती न्यायालयांपैकी ३० न्यायालये Exclusive/Designated POCSO Act Courts म्हणून स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. ५ येथील दि.१६.१२.२०१९ रोजीच्या आदेशान्वये सदर न्यायालये दि.०१.०३.२०२० पूर्वी कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सदर योजनेमधील सहभागाकरीता राज्य शासनाची सहमती केंद्र शासनास संदर्भ क्र. ३ येथील शासन पत्रान्वये कळविण्यात आली आहे. सदर योजना केंद्र पुरस्कृत असून, त्यांतर्गत केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा अनुक्रमे ६०:४० इतका निश्चित करण्यात आला आहे. प्रस्तुत योजने अंतर्गत प्रत्येक न्यायालयासाठी वार्षिक रु. ७५ लक्ष याप्रमाणे राज्यातील १३८ विशेष जलदगती न्यायालयांसाठी एकूण रु. १०३.५० कोटी इतकी रक्कम निश्चित केली असून यामध्ये केंद्र हिस्सा ६०% प्रमाणे ६२.१० कोटी इतका असुन उर्वरीत राज्य हिश्यापोटी (४०%) रु.४१.४० कोटी इतका निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करावयाचा आहे. यानुषंगाने संदर्भ क्र. ६ येथील शासन निर्णयान्वये, केंद्र व राज्याच्या हिश्याकरीता नवीन स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

सदर योजनेंतर्गत १३८ विशेष जलदगती न्यायालये राज्यात कोणत्या ठिकाणी स्थापन करण्यात येतील याची यादी मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केली असून सदर न्यायालयांच्या स्थापने करीता, त्यानुषंगाने आवश्यक तात्पुरत्या पदनिर्मितीस आणि याकरीता येणाऱ्या रु.९९,३३,१६,८८०/- (रुपये नव्यानव कोटी तेहतीस लक्ष सोळा हजार आठशे ऐंशी फक्त) इतक्या आवर्ती व अनावर्ती खर्चाचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. ७ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. मा. उच्च न्यायालयाने प्रस्तावित केलेल्या उपरोक्त खर्चास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

**शासन निर्णय :**

केंद्र शासनाच्या "National Mission for Safety of Women" अंतर्गत योजनेनुसार महिला व बालक अंतर्भूत असलेली बलात्कार व पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गतची प्रलंबित प्रकरणे चालवून त्वरीत निकाली काढण्याकरीता राज्यात १ वर्षाच्या कालावधीकरीता परिशिष्ट-अ प्रमाणे १३८ विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. उपरोक्त १३८ न्यायालयांकरीता आवश्यक तात्पुरत्या पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने पुढील तरतुदींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे.

- प्रत्येक न्यायालयाकरीता १ न्यायिक अधिकारी व ७ सहाय्यभूत कर्मचारी याप्रमाणे ८ पदे असतील. यानुसार प्रत्येकी ८, याप्रमाणे १३८ न्यायालयांकरीता एकूण ११०४ तात्पुरती पदे निर्माण करण्यास (परिशिष्ट-ब) मान्यता देण्यात येत आहे.
- एकुण १३८ न्यायालयांपैकी मुंबईबाहेरील ११२ न्यायालयांसाठी, प्रत्येकी ८ (१ न्यायाधीश व ७ सहाय्यभूत कर्मचारी) याप्रमाणे सर्व ८९६पदे निवृत्त न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांमधून (गट-क व गट-ड संवर्गातील पदांसह) करार पद्धतीने भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

- मुंबईतील २६ न्यायालयांतील न्यायाधीशांची २६ पदे करार पद्धतीने व उर्वरीत सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची एकूण १८२ पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे /करार पध्दतीने भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे
- सदर विशेष जलदगती न्यायालयांकरीता निवृत्त न्यायाधीश व कर्मचाऱ्यांमधून करार पद्धतीने नियुक्ती करतांना संदर्भ क्र. ८ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयातील अ.क्र.२अ)९)(४) वगळता इतर मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करण्यात यावा.
- मुंबई येथील विशेष जलदगती न्यायालयांकरीता सहाय्यभूत कर्मचाऱ्यांची पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरावयाची झाल्यास विधि व न्याय विभागाच्या संदर्भ क्र. ९ ते ११ येथील शासन निर्णयातील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करण्यात यावा.
- सदर १३८ विशेष जलदगती न्यायालये व यानुषंगाने निर्माण करण्यात आलेल्या पदांना १ वर्षाच्या कालावधीकरीता मंजुरी देण्यात येत आहे.

३. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-१, २०१४- न्यायदान, १०२- उच्च न्यायालये, १४- महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राष्ट्रीय उपक्रम अंतर्गत विशेष न्यायालयाची स्थापना,(१४)(०१) महिला व बालक अंतर्भूत प्रकरणे त्वरीत निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (२०१४ ०६६४)" व (१४)(०२) महिला व बालक अंतर्भूत प्रकरणे त्वरीत निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापना (कार्यक्रमांतर्गत) (दत्तमत) (राज्य हिस्सा ४० टक्के) (२०१४ ०६७३)" या लेखाशीर्षाखाली भागविण्यात येईल.

४. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौस२६१/१४४३ दि.१५.०२.२०१९ तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ अनौ.सं.क्र१६९/व्यय-५ दि.०१.०३.२०२० व अनौ.सं.क्र१२८/आपुक दि.०३.०३.२०२० अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

५. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२००३०४१६०१३२४११२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

Uday Balkrishna Shukla

Digitally signed by Uday Balkrishna Shukla
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra,
[illegible]

(उदय बा. शुक्ल)

विधि सल्लागार-नि-सह सचिव

प्रति,

१. मा.राज्यपाल यांचे स्वीय सहायक ,
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई,
३. मा. विरोधी पक्ष नेता विधान सभा /विधान परिषद यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई,
४. मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई,
५. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई
६. सर्व प्रमुख न्यायाधीश, जिल्हा व सत्र न्यायालये,
७. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा / मुळ शाखा), मुंबई,

८. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठ,
९. संचालक, अभियोग संचालनालय, मुंबई,
१०. सह संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण संस्था, उत्तन/नागपूर,
११. सदस्य सचिव, विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई,
१२. महालेखापाल- एक (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई,
१३. महालेखापाल- दोन (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर,
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई
१५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई
१६. वित्त विभाग, व्यय-५/ अर्थ-११/आपुक,
१७. विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने,
१८. निवड नस्ती.

# परिशिष्ट-अ

| अ. क्र. | जिल्हा | न्यायालयाचे ठिकाण | POCSO न्यायालयांची संख्या | विशेष जलद गती न्यायालयांची संख्या | जिल्हावार एकूण न्यायालयांची संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | अहमदनगर | अहमदनगर | १ | १ | ३ |
| | | संगमनेर | | १ | |
| २ | अकोला | अकोला | १ | २ | ४ |
| | | अकोट | | १ | |
| ३ | अमरावती | अमरावती | १ | ३ | ७ |
| | | अचलपूर | | ३ | |
| ४ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | १ | ३ | ४ |
| ५ | बीड | बीड | १ | १ | ३ |
| | | अंबाजोगाई | | १ | |
| ६ | भंडारा | भंडारा | १ | | १ |
| ७ | बुलढाणा | बुलढाणा | १ | १ | ४ |
| | | मलकापूर | | १ | |
| | | खामगाव | | १ | |
| ८ | चंद्रपूर | चंद्रपूर | १ | १ | २ |
| ९ | धुळे | धुळे | १ | | १ |
| १० | गडचिरोली | गडचिरोली | | १ | १ |
| ११ | गोंदिया | गोंदिया | १ | १ | २ |
| १२ | जळगाव | जळगाव | १ | १ | २ |
| १३ | जालना | जालना | १ | १ | २ |
| १४ | कोल्हापूर | कोल्हापूर | १ | १ | २ |
| १५ | लातूर | लातूर | १ | १ | २ |
| १६ | नागपूर | नागपूर | १ | ४ | ५ |
| १७ | नांदेड | नांदेड | १ | १ | २ |
| १८ | नंदूरबार | नंदुरबार | | १ | १ |
| १९ | नाशिक | नाशिक | १ | १ | ४ |
| | | मालेगाव | | १ | |
| | | निफाड | | १ | |
| २० | उस्मानाबाद | उस्मानाबाद | १ | १ | २ |
| २१ | परभणी | परभणी | १ | १ | २ |
| २२ | पुणे | पुणे | १ | ११ | १६ |
| | | बारामती | | २ | |
| | | खेड | | २ | |
| २३ | रायगड अलिबाग | रायगड अलिबाग | १ | १ | २ |
| २४ | रत्नागिरी | रत्नागिरी | १ | | १ |
| २५ | सांगली | सांगली | १ | १ | २ |
| | | | | | |

| अ. क्र. | जिल्हा | न्यायालयाचे ठिकाण | POCSO न्यायालयांची संख्या | विशेष जलद गती न्यायालयांची संख्या | जिल्हावार एकूण न्यायालयांची संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| २६ | सातारा | सातारा | १ | २ | ४ |
| | | कराड | | १ | |
| २७ | सोलापूर | सोलापूर | १ | ३ | ६ |
| | | पंढरपूर | | १ | |
| | | बार्शी | | १ | |
| २८ | ठाणे | ठाणे | १ | ८ | १८ |
| | | कल्याण | | ६ | |
| | | वसई | | २ | |
| | | पालघर | | १ | |
| २९ | वर्धा | वर्धा | १ | १ | २ |
| ३० | वाशिम | वाशिम | १ | १ | २ |
| ३१ | यवतमाळ | यवतमाळ | १ | १ | ३ |
| | | पुसद | | १ | |
| ३२ | नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय मुंबई | नगर दिवाणी मुंबई | १ | १४ | २६ |
| | | दिंडोशी | | ११ | |
| | एकूण | | ३० | १०८ | १३८ |

# परिशिष्ट 'ब'

राज्यातील 138 विशेष जलदगती न्यायालयांकरीता पदसंरचना

## मुंबईबाहेरील ११२ न्यायालयांकरीता

| अ. क्र. | पदनाम | १ न्यायालयाकरीता पदसंख्या | ११२ न्यायालयांकरीता पदसंख्या |
|---|---|---|---|
| १ | जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश | १ | ११२ |
| २ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | १ | ११२ |
| ३ | अधिक्षक | १ | ११२ |
| ४ | वरिष्ठ लिपिक | १ | ११२ |
| ५ | कनिष्ठ लिपिक | २ | २२४ |
| ६ | शिपाई | २ | २२४ |
| | एकूण | ८ | ८९६ |

## मुंबईमधील २६ न्यायालयांकरीता

| अ. क्र. | पदनाम | १ न्यायालयाकरीता पदसंख्या | २६ न्यायालयांकरीता पदसंख्या |
|---|---|---|---|
| १ | न्यायाधीश | १ | २६ |
| २ | शिरस्तेदार | १ | २६ |
| ३ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) | १ | २६ |
| ४ | दुभाषी | १ | २६ |
| ५ | लिपिक-टंकलेखक | १ | २६ |
| ६ | हवालदार | १ | २६ |
| ७ | शिपाई | २ | ५२ |
| | एकूण | ८ | २०८ |